न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/16 **निर्णय दिनांकः– 16.X.17**

1. धन्नाराम
2. आदूराम पुत्रगण स्व. जेठमल नोखड़ा जाति मेधवाल निवासीगण
3. किलाराम तहसील कोलायत जिला बीकानेर
4. पारू बेवा जेठमल
5. मीरगां पुत्री जेठमल पत्नी भोमाराम निवासी खारिया, पातावतार तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

–बनाम–

1. जैती पत्नी जगुराम
2. पप्पुराम पुत्रगण जगुराम जाति मेधवाल निवासीगण नोखड़ा तहसील
3. बनाराम कोलायत जिला बीकानेर।
4. बींझाराम
5. देवाराम
6. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2016
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4
3. श्री नन्दराम कासॅनिया, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2016 के विरूद्व पेश की है, जिसके द्वारा विधि विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट का वाद, अपीलांट के विरूद्व स्वीकार किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. 1. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 23 में 71.10 बीघा व खसरा नपम्बर 83 में तादादी 96 बीघा कुल तादादी 167 बीघा 10 बिस्वा गैर खातेदारी भूमि अपीलांट के पिता/पति स्व. जेठमल(जेठाराम) की रिकार्डेड गैर खातेदारी भूमि थी।

2. रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत के समक्ष एक झूठा वाद इस आश्य का पेश किया कि राजस्व रिकार्ड संवत् 2012 समरी बन्दोबस्त में तैयार किया गया जो स्व. जेठमल के अकेले के नाम से तैयार किया गया। वादीगण के द्वारा संयुक्त हिन्दु परिवार की कहानी रच कर कि स्व. मोडाराम के पुत्रों जेठमल और जगुराम सगे भाईयों को साथ रहना बताया और इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्व तरीके से दावा अपने हक में निर्णित करवा लिया।

3. पत्रावली पूर्व में सहायक उपनिवेशन आयुक्त इगानप कोलायत से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलबी हेतु दिनांक 26–2–16, 29–4–16 तत्पश्चात् 15–7–16 नियत की गई, किन्तु दिनांक 02–06–16 को ही कैम्प नोखड़ा में पत्रावली उभय पक्षकारान् उपस्थित लिखा जाकर जेती के हक में 1/2 हिस्सा करते हुए निर्णित कर दी गई। जबकि पत्रावली तलबी में चल रही थी।

4. अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति फर्जी तौर पर दिखाकर निर्णय किया जाना सर्वथा न्याय प्रकिया का उल्लंधन है। पत्रावली में सरकार का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें पैरा संख्या 8 में चिर निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने बाबत् उल्लेख किया गया। इसी प्रकार पैरा संख्या 13 में यह उल्लेखित किया गया कि वाद आवश्यक प्रकृति का नहीं है व कॉज ऑफ एक्शन अराईज नहीं होने से वादज निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में इन तथ्यों का कोई विवेचन नहीं किया गया है। जमाबन्दी में भी खसरा नम्बर 23 तादादी 71.10 बीघा व खसरा नम्बर 83 में 96.00 बीघा धनिया, आदू, किला पिसरान जेठाराम कौम मेधवंशी बहिस्सा बराबर सा. देह गैर खातेदार दर्ज है।

5. आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेते है व कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर उनके हिस्से तक की भूमि से बेदखल कर देते है तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी व अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।

6. अतः वादगत् आराजी गांव नोखड़ तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 23 तादादी 71 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 83 तादादी 96 बीघा कुल तादादी 167 बीघा 10 बिस्वा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

4. **I-** विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी जैर के सबंध में धारा 39 (1) सीपीसी में भूमि का कब्जा मूल रूप से देखा जाता है, साथ ही यह भी कथन किया कि वादगत् भूमि के संबंध में सीआरपीसी 145 के तहत एसएचओ की रिपोर्ट पर दिनांक 10–7–17 को तहसीलदार को रिसिवर नियुक्त करते हुए आदेश दिये कि विवादग्रस्त आराजी को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेते हुए रिसिवर के फरायज को अंजाम देवें।

II- उक्त आदेश की निगरानी माननीय अपर सेशन न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है। अतः पत्रावली में इस स्टेज पर कोई कार्यवाही अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में नहीं की जा सकती।

III- जहॉ तक अपील में पक्षकारों के हक व हिस्से का प्रश्न है यह बिन्दु अपील में गुणावगुण में पर तय होने है। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन व मनन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अ. प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2007 से अधिनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88/188 आरटीएक्ट के तहत विचाराधीन है। प्रकरण में दिनांक 14–10–11 को जवाब सरकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया व मामलें में दिनांक 20–7–12 को तनकीयात कायम की गई।

ब. प्रस्तुत वाद में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या भूमि पुश्तैनी है, संयुक्त परिवार की है? प्रत्यर्थी का कब्जा है? कब्जा शामिलाती है इत्यादि। विगत् 5 वर्षो से इस मामलें का निस्तारण नहीं किया गया।

तत्पश्चात् उक्त पत्रावली सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर प्रथम से राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को स्थानान्तरित होने पर तलबी हेतु दिनांक 15–7–16 नियत की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02–6–16 को ही कैम्प नोखड़ा में पत्रावली उभय पक्षकारान की उपस्थित लिखी जाकर वादीगण के पक्ष में 1/2 हिस्सा भूमि उनके हक में निर्णित कर दी गई।

6. प्रकरण में निर्णय का गहनता से परिशीलन किया गया।

I- प्रथम दृष्टया मामलाः–

(अ) जमाबन्दी (खसरा गिरदावर) खसरा नम्बर 23 में धनिया, आदू किला पिसरान जेठाराम कौम मेधवंशी के नाम बहिस्सा बराबर भूमि बतौर गैर खातेदार दर्ज चली आ रही है।

(ब) निर्णय में कायम तनकियात् का तफसील से तनकीवार, बिन्दुवार विवेचना का अभाव है।

(स) दावें में जवाब तहसीलदार (राज्य सरकार) में आक्षेप वादीगण के कथनों के खिलाफ है व वादपत्र के कथनों के स्पष्टतः इंकार किया गया है। ऐसी दशा में निर्णय परिवार की पैतृक भूमि होने, प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार के सदस्य होने तथा कब्जे में भूमि होने के तथ्यों को–गवाह, सबूत, ग्राम पंचायत पटवारी के साक्ष्य, कब्जे को गिरदावरी आदि के द्वारा तथा परिवार के सदस्य होने के तथ्य को वोटरलिस्ट, राशनकार्ड आदि अहम सबूतों को पत्रावली पर लिया जाना अपरिहार्य व मुकदमें की तासीर के अनुरूप होना आवश्यक था ताकि निर्णय की अहम तनकियात् के साथ आवश्यक कानूनी जरूरतों के अनुसार किया जाना आवश्यक था। इस लिहाज से मूल वाद की आत्मा का पोषण निर्णय में नहीं हुआ जो प्रश्न खड़े करता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

II- अपूरणीय क्षतिः–

यह गौर करने का बिन्दु है कि जमाबन्दी व गिरदावरी जो कि राजस्व अधिकार अभिलेख का पुख्ता साक्ष्य है, में प्रार्थीगण का नाम समरी सेटलमेंट के समय से बदस्तूर चला आ रहा है एवं कब्जे के बारे में जवाब तहसीलदार के बिन्दु संख्या 8 व 13 की धोर उपेक्षा परिलक्षित है– उसके संबंध में व कब्जे के बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होना दृष्टिगोचर है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण को उनके हक से व भूमि से वंचित करना उनके विरूद्व अपूरणीय क्षति कारित होना जाहिर है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

II- सुविधा का संतुलन :–

यह अहम बिन्दु है कि प्रार्थीगण का नाम बतौर गैर खातेदार अधिकार अभिलेख में दर्ज है। मामले के संबंध में भूमिधारी तहसीलदार का कथन उक्त तथ्य को साबित करता है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में पुष्ट होता है।

7. **a.** प्रस्तुत मामलें में प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि धारा 39 (1) सीपीसी में भूमि का कब्जा मूल तथ्य है जिसे गौर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कथन किया है कि भूमि सीआरपीसी 145 के तहत एसएचओ की रिपोर्ट पर रिसीवरी में तहसीलदार के कब्जे में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।

b. प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त कार्यवाही एसएचओ की रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा प्रारम्भ की जाकर तहसीलदार को कब्जे में सुपुर्द की है जिसकी निगरानी माननीय अपर सेशन न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है।

c. यह तथ्य गौर तलब है कि भूमि के संबंध में कब्जे को लेकर विवाद की दशा में यदि लोकशांति क्षुब्ध होने का अंदेशा है तो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 145 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से या अन्यथा सूचना मय दस्तावेजात् व सबूतों के प्राप्त होने पर कार्यवाही संस्थित व जारी की जा सकती है बशर्ते लोकशांति को खतरा हो।

d. प्रस्तुत प्रकरण में मामला वर्ष 2007 से 2016 तक क्रमशः सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम एवं तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष लम्बित व विचारित था। इस लम्बे समय के दौरान पत्रावली पद या अन्यथा कोई सूचना, कार्यवाही या दस्तावेज जिससे प्रकट होता हो कि पक्षकारों के बीच ऐसा विवाद है जो लोकशांति को क्षुब्ध करने के संबंध में असान्न खतरे की श्रेणी में आता है।

e. धारा 145 सीआरपीसी के कब्जा मुख्य तथ्य व तत्व है। यह देखा जाना चाहिए कि विवाद की जड़ क्या है? यदि ऐसी धटना से तत्काल, पूर्व 2 माह की अवधि में कब्जा किसके पास है– यह महत्वपूर्ण तथ्य है, एवं उस कब्जे की सुरक्षा लोकशांति को भंग होने से बचाने की प्राथमिकता होनी चाहिए, या अन्यथा विकट स्थितियों में ही भूमि रिसिवरी में सुपुर्द करनी चाहिए।

f. यदि पक्षकार उक्त निर्णय या आदेश से क्षुब्ध है तो पुनरीक्षण हेतु माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। जैसा

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

कि इस मामले से प्रकट है कि दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 145 उपखण्ड दण्डानायक के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जिसका उद्वेश्य कब्जे को लेकर पक्षकारों का विवाद इस स्तर तक पहुॅच गया कि लोकशांति को आसन्न खतरा है तो वे अपने विवेक से कार्यवाही संस्थित कर कब्जे की रक्षा की दशा में व लोकशांति को खतरा ना हो ऐसा विहित आदेश जारी कर सकते है।

g. वाद में कब्जा निःसंदेह स्वत्व नहीं है लेकिन स्वत्व का आधार हो सकता है बशर्ते आवश्यक सबूत हो। मामलें की पृष्ठ भूमि में स्वत्व निर्विवाद रूप से मूलतः प्रार्थीगण के हक में निहित रहा है।

i. विवाद की विषयवस्तु व पृष्ठभूमि विद्वान उपखण्ड अधिकारी के मूल वाद संख्या 107/2015 में दिनांक 02–06–16 को पारित समीक्षाधीन निर्णय से गहरा ताल्लुक रखती है। जिसकी अपील व संदर्भित वाद में किये निर्णय की पालना स्थगन हेतु इस न्यायालय मे अपील व प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

j. यह कि विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोलायत के दण्डनायक की हैसियत से सीआरपीसी अन्तर्गत धारा 145 में दिये गये निर्णय से नितान्त भिन्न प्रकृति की कार्यवाही है। जो सिविल या राजस्व न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए बाधक नहीं है। दोनों स्वतन्त्र कार्यवाहियॉ है एवम् पृथक–पृथक रूप से संचालित हो सकती है।

k. स्वत्व (title) का निर्धारण विशेषकर भूमि व राजस्व खातेदारी भूमियों के संबंध में एकमेव रूप से माननीय सिविल न्यायालय/व राजस्व न्यायालयों में यथास्थित निहित है।

l. प्रश्नास्पद वाद के निर्णय की अपील इस न्यायालय में संस्थित है व निर्णय अन्विक्षाधीन व निर्णयाधीन है, तथा प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय की कियान्विति रोकने बाबत् इस्तदुआ सक्षम न्यायालय में की गई। जिसका विचारण व विवेचन मद संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 3 में विवेचित है।

8. लिहाजा यह न्यायालय उचित समझता है कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 23 में 71.10 बीघा व खसरा नम्बर 83 में तादादी 96 बीघा कुल तादादी 167 बीघा 10 बिस्वा की दावे के पूर्व की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दोनों पक्ष बनाये रखें।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

9. उक्त विवेचना के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित कारणों से त्रूटिपूर्ण पाते हुए कि:–

(i) उक्त निर्णय बहुपक्षीय होने के बावजूद, एवम् नियमित सुनवाई में रही है, जो सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम बीकानेर से क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष विचाराधीन रही है।

पत्रावली के अध्ययन से विदित होता है कि उक्त स्थानान्तरण से पूर्व पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु निर्धारित रही थी।

(ii) तत्पश्चात् पत्रावली पर बकुलाए पक्षकारान् उपस्थित व पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15–7–16 को पेश हेतु निर्धारित थी।

(iii) बावजूद इस तथ्य के पत्रावली दिनांक 02–06–16 को ही अर्थात निर्धारित तिथि से पूर्व बिना साक्ष्य, सबूत एवम् जवाब सरकार की विवेचना किये ही कैम्प नोखड़ा में निर्णित की जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष मे संक्षिप्तः निपटाते हुए निर्णय कर दिया– जो निहायत की कानून विरूद्व एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की सरासर अवहेलना को प्रकट करते है।

(iv) इस प्रकार अपरिपक्व निर्णय से ही पक्षकारों के मध्य विवाद अनावश्यक रूप से दण्डिक प्रकिया की धारा 145 के तहत कार्यवाहियों के जटिल प्रकम में उलझा है।

10. लिहाजा अपीलांट की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस निर्णय के पैरा 6 (I) में वर्णित विवेचनानुसार मामलें को तनकियात अनुसार, सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में गवाह, बयानात् व सबूत तथा पंचायत एवं मोजिज व्यक्तियों के कथनों को लेखबद्व कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

11. निर्णय आज दिनांक 16.X.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।